(ग) इन आरोपों को देखते हुए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) :

(क) जी हां ।

(ख) 1978–79, 1985–86 तथा 1986–87 के संबंध में भारत के महालेखापाल तथा नियंत्रक की रिपोर्ट में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् के विभिन्न विभागों के कार्यकलापों के कुछ पहलुओं पर टिप्पणी की गई है जिसमें से कुछ पर दिनांक 19–3–1990 के डक्कन हैराल्ड में प्रकाशित समाचार में प्रकाश डाला गया था । इनमें से कुछ पहलू नीचे दिए गए हैं :—

1. माध्यमिक स्कूल अध्यापक तथा प्रारंभिक अध्यापक शिक्षक के प्रशिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफलता ।

2. माध्यमिक स्कूल अध्यापकों तथा प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता को अद्यतन बनाने के लिए स्थापित सतत शिक्षा केन्द्रों का असंतोषजनक कार्यकरण ।

3. अनबिकी पुस्तकों तथा पर्याप्त मूल्यों के अप्रचलित शीर्षकों का संचय ।

4. अनुसंधान परियोजनाएं पूर्ण करने में विलंब ।

(ग) महालेखापाल तथा नियंत्रक की रिपोर्टों पर कार्यवाही करने के लिए एक सुनिर्धारित पद्धति है और सरकार के सभी विभागों/मंत्रालयों से इस पद्धति का अनुपालन करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

थलसेना/नौसेना/वायुसेना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कमीशन प्राप्त अधिकारियों का प्रतिशत

1378. **श्री अजीत जोगी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थलसेना, नौसेना और वायुसेना में कमीशन प्राप्त अधिकारियों के वर्ग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के व्यक्तियों का वर्तमान प्रतिशत क्या है ; और

(ख) सशस्त्र बलों में उक्त श्रेणियों के व्यक्तियों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व दिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) भारत के सभी योग्य नागरिक, चाहे वे किसी भी जाति, वंश, समुदाय या धर्म के हों, चयन मानदण्ड के आधार पर सशस्त्र सेनाओं में किसी भी रैंक में भर्ती हो सकते हैं । अतः सेनाओं में किसी जाति, जनजाति या समुदाय के लिए कोई आरक्षण कोटा नहीं रखा गया है । सेनाओं में संक्रियात्मक कार्यकुशलता यथासंभव उच्चतम स्तर पर बनाए रखने के लिए भर्ती की वर्तमान पद्धति को जारी रखना अपेक्षित है ।

गंगा कार्य योजना के अधीन वाराणसी में खर्च की गयी धनराशि

1379. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

"गंगा कार्य योजना" के अधीन वाराणसी और इलाहाबाद में जल प्रदूषण को रोकने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गयी और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत वाराणसी और इलाहाबाद में स्कीमों पर मार्च, 1990 के अन्त तक क्रमशः रु० 30.15 करोड़